

The All India Institutes of Medical Sciences (Amendment) Bill, 2024(Insertion of New Section 3A) -Introduced

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना): सर, आज की कार्यसूची में मेरे तीन विधेयक हैं, अगर आप एक बार में अलाऊ कर देंगे तो अच्छा रहेगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।